न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./151/2024/बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. चन्दण पुत्र मोमदा 2. अमीना पुत्री हिन्दालखांन 3. अली पुत्र हेमा 4. जुसब पुत्र हेमा 5. नजीर पुत्र हेमा 6. फरीद पुत्र हेमा 7. ईकबाल पुत्र हिन्दालखान 8. ईदा पुत्री हिन्दालखान 9. दावतखान पुत्र हिन्दालखान 10. नवाबखान पुत्र हिन्दालखान 11. निहाली पुत्री हिन्दालखान 12. मेहबूबखान पुत्र हिन्दालखान 13. रजाकखां पुत्र हिन्दालखान 14. लती पत्नी हिन्दालखान 15. शरीफखान पुत्र हिन्दालखान 16. फरीदखां पुत्र सुमार जाति मुसलमान निवासी काठानाडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. हमीद पुत्र मोमदा 2. गुलामखांन पुत्र सुमारखान 3. जमालखां पुत्र सुमारखां 4. फरीदखां पुत्र सुमारखां 5. मुसेखां पुत्र इसुखां जाति मुसलमान निवासी काठानाडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 6. शाखा प्रबंधक दी सैन्ट्रेल को–ऑपरेटिव बैंक शाखा सिणधरी 7. त्हसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2022 बउनवान हमीद वगैरह बनाम अली वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पाबुराम बेनिवाल अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 07.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 21 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 579 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 580 रकबा 21.0502 हैक्टेयर कुल रकबा 21.0583 हैक्टयर मौजा काठानाडा पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आये हुए हैं जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 21 के सह खातेदारी के हैं। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 से 14 प्रत्येक का 1/60–1/60 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 15

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

से 20 प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 21 का 1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है। राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग हिस्से खुल्ले हुऐ है परन्तु विधिवत रूप से बंटवारा किया हुआ नहीं है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है इसलिये वादी अपने हिस्से की घोषणा करवाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं। इस कारण हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया, बावजूद तामील अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर विधिवत रूप से अपीलांट से तामील नहीं करवाया गयी है। अपीलांटस वादग्रस्त खेत में रेकार्डेड खातेदार हैं तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आनन फानन में निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का भी हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निर्णीत करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दू कायम नहीं किये तथा न ही प्रतिवादी की साक्ष्य कमलबद्ध की गई है। बिना विवाद्यक बिन्दु कायम किये व साक्ष्य लिये ही अपीलाधीन वाद को निर्णीत किया गया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई तथा राजस्व कर्मचारियों ने उत्तरदाता संख्या 1 के साथ मिलीभगत करते हुऐ वादग्रस्त भूमि के एक दिशा में सड़क मार्ग निकलता है परन्तु अपीलांट को सड़क मार्ग से पूर्णतया वंचित कर दिया है जबकि सभी पक्षकारान को सड़क मार्ग पर उसके हिस्से अनुसार भूमि दिया जाना विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित किया गया वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई

([illegible] कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई उसे तैयार करने से पूर्व अपीलांटस को कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गई तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किये बिना केवल मात्र पटवारी हल्का ने वादी के प्रभाव में आकर विधि विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जो विधि के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत नहीं है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर अपीलांटस की व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव दावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/उत्तरदाता के हिस्से को ही अपीलाधीन आदेश के जरिये पृथक किया गया शेष समस्त सहखातेदारों का हिस्सा संयुक्त रख दिया गया जो बंटवारे की मूल भावना के विरूद्ध है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आदेशिका दिनांक 23.05.2024 के अनुसार तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। अंतिम डिक्री के लिए तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया। कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 को तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है, जिसके अवलोकन से प्रकट है उक्त तकाश्मा रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 579, 580 सड़क मार्ग से लगता है जबकि अपीलांटस को सड़क मार्ग पर उसके हिस्से अनुसार भूमि नहीं दी गई। हस्तगत प्रकरण में मौका कमिश्नर तहसीलदार सिणधरी को नियुक्त किया गया जबकि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया तथा अपने अधिकार को आगे अपने से निम्न रैंक के कर्मचारियों को अपने पॉवर डेलिगेट किये। बंटवारे के मामले में तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना किया जाना आज्ञापक प्रावधान है जिसका पालन हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2022 बउनवान हमीद वगैरह बनाम अली वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.05.2024 व 08.08.2024 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर सड़क मार्ग पर हिस्से अनुसार भूमि देते हुए, तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर, सभी पक्षकारों को सूचित कर/ सुन कर समझा कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तत्पश्चात गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

7/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नवनीत कुमार
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर(नवनीत कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर